



Neutral Citation Number- 2026:AHC:34598-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2242/2026

इनाम उर्फ धुरी

.....याचिकाकर्ता/याचिककर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिककर्तागण के अधिवक्ता

: शेषाद्वि त्रिवेदी

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा दिनांक 02.12.2025 को वाद संख्या-849/2025 (राज्य बनाम इनाम उर्फ धुरी) में पारित आदेश को चुनौती दी है। यह आदेश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1), वाद अपराध संख्या-531/2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 पुलिस थाना कैराना, जिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शामली में दर्ज था, से उत्पन्न हुआ था ; इस आदेश के द्वारा, याचिकाकर्ता से संबंधित कुछ संपत्ति कुर्क की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि शामली के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 02.12.2025 को पारित किया गया विवादित आदेश किसी भी ठोस और विश्वसनीय सामग्री पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे अत्यंत मनमाने और स्वेच्छाचारी ढंग से पारित किया गया है; अतः इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का ज़ोरदार विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि उपलब्ध वैधानिक उपायों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 14(1) के तहत दिनांक 02.12.2025 को पारित आदेश को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा-15 के तहत अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बजाय, दिनांक 02.12.2025 के विवादित आदेश को रद्द करवाने के लिए अवैध रूप से इस न्यायालय का रुख किया है, जबकि इसके लिए एक विशिष्ट वैधानिक उपचार उपलब्ध है; अतः, यह रिट याचिका पूर्णतः भ्रामक है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत दिनांक 02.12.2025 को पारित आदेश को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं और अधिनियम में ही विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है; इसलिए हमारी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. याचिकाकर्ता, यदि उचित समझे, तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो विधि के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

17 फरवरी, 2026

नादिम

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव

गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”